आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28.02.2024	**वाद संख्या–65 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती संगीता कुमारी, ग्राम–बलथर, पो0–रामूडीह, थाना–देवीपुर, जिला–देवघर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। इस वाद की कार्रवाई परिवादी श्रीमती संगीता कुमारी ग्राम–बलथर, पो0–रामूडीह, थाना–देवीपुर, जिला–देवघर के द्वारा आयोग के वाट्सऐप पर किए गए message पर प्रारम्भ हुआ। परिवादी द्वारा आयोग के वाट्सऐप नं0 पर PMMVY की पूरी राशि दो वर्ष बाद भी नहीं निर्गत किए जाने का दावा करते हुए राशि दिलवाने का अनुरोध किया गया। आयोग के पत्रांक–1067 दिनांक–26.12.2023 द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस किया गया। अगली निर्धारित तिथि को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर उपस्थित हुईं। उनके द्वारा परिवादी के मामले संबंधी प्रतिवेदन पत्रांक–63 दिनांक–10.01.2023 द्वारा दिया गया। उनके द्वारा उक्त प्रतिवेदन में कतिपय तकनिकी कठिनाई का उल्लेख किया गया। उक्त प्रतिवेदन को कार्रवाई हेतु विभाग को आयोग के पत्रांक–96 दिनांक–25.01.2024 से भेजा गया। सुनवाई की अगली तिथि 12.02.2024 तक विभाग से कोई जवाब नहीं प्राप्त हुआ और न ही जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर उपस्थित हुए। पुनः आज दिनांक–28.02.2024 को भी न तो जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर उपस्थित हैं और न ही इस मामले में कृत कार्रवाई की सूचना विभाग अथवा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर से प्राप्त है। यह स्थिति असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। पदाधिकारियों का दायित्व लाभुकों को उनके अहर्त्ता के अनुरूप ससमय लाभ पहुँचाना है। यह ज्ञात हुआ कि निदेशालय स्तर से PMMVY के राशि का भुगतान सीधे लाभुकों के खाता में किया जाता है। अतः निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को निदेशित किया जाता है कि मामले में आने वाले कठिनाईयों का समाधान कराते हुए, परिवादी को उनके अहर्त्ता के अनुरूप लाभ मुहैया कराया जाय। साथ ही इसकी सूचना आयोग को दी जाय। साथ ही वाद में दिनांक–12.02.2024 एवं 28.02.2024 को बगैर कारण बताए अनुपस्थित रहने के आरोप में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाय। आदेश की प्रति निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को अनुपालन हेतु भेजें। साथ ही परिवादी के परिवाद पत्र एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की प्रति भी निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को भेजें। दिनांक– 28.03.2024 को अभिलेख उपस्थापित करें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। D:\Premlata\Court 1.docx11	